

राजस्थान के स्कूलों में अनुच्छेद 370 के नरिसन का उत्सव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चालू शैक्षणिक वर्ष में [वीर सावरकर जयंती](#) और [अनुच्छेद 370 के नरिसन का उत्सव](#) मनाने की घोषणा की।

मुख्य बंदि

- 28 मई को स्कूलों में वीर सावरकर जयंती का उत्सव मनाया जाएगा और 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 नरिसति कयि जाने के उपलक्ष्य में **स्वर्ण मुकुट मस्तक दविस** मनाया जाएगा
- अन्य उल्लेखनीय दविसों में 23 जनवरी को **सुभाष चंद्र बस दविस**, जसि देश प्रेम दविस भी कहा जाता है, 14 फरवरी को मातृ पति दविस और 4 फरवरी को सूर्य नमस्कार दविस शामिल हैं।

भारतीय संवधान का अनुच्छेद 370

- **परचिय:** 17 अक्तूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 को एक '**अस्थायी उपबंध**' (Temporary Provision) के रूप में भारतीय संवधान में जोड़ा गया था, जसिने जम्मू-कश्मीर को वशिष छूट प्रदान की थी, इसे अपने स्वयं के संवधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी और राज्य में भारतीय संसद की वधिायी शक्तियों को नयित्तरति रखा गया था।
 - इसे एन. गोपालस्वामी अयंगर द्वारा संवधान के मसौदे में अनुच्छेद 306A के रूप में पेश कयि गया था।
 - **अनुच्छेद 370** के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य की संवधान सभा को यह अनुशंसा करने का अधिकार दयि गया था कि भारतीय संवधान के कौन-से अनुच्छेद राज्य पर लागू होंगे।
 - राज्य के संवधान का मसौदा तैयार करने के बाद जम्मू-कश्मीर संवधान सभा को भंग कर दयि गया था। **अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा भारत के राष्ट्रपति को इसके उपबंधों और दायरे में संशोधन कर सकने की शक्ति प्रदान की गई थी।**
- **अनुच्छेद 35A** अनुच्छेद 370 से वयुत्पन्न हुआ था जसि इसे जम्मू-कश्मीर संवधान सभा की अनुशंसा पर वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश (Presidential Order) के माध्यम से पेश कयि गया था।
- अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर वधानसभा को राज्य के स्थायी नविसयों और उनके वशिष अधिकारों तथा वशिषाधिकारों (special rights and privileges) को परभाषति करने का अधिकार देता था।
- 5 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'संवधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019' जारी कयि। इसके माध्यम से भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 में संशोधन कयि (उल्लेखनीय है कि इसका प्रतसिंहरण नहीं कयि)।